संख्या-21/2024/001-330-12-5099-31-2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनओं का संगत राज्यांश, 8912-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/654/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 15.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रोयाजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8901-कृषि विकास की योंजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनओं का संगत राज्यांश, 8912-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 111.973 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 335.920 लाख तथा 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 111.973 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 559.866 लाख (रूपये पांच करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार छः सौ मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-732 दिनांक 21.03.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक उ0प्र0 का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलान्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	1,11,97,300 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार तीन सौ मात्र)
2	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	3,35,92,000 (रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख बयान्वे हजार मात्र)
3	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,11,97,300 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार तीन सौ मात्र)
	कुल			**5,59,86,600** **(रुपये पांच करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार छह सौ मात्र)**
महायोग	5,59,86,600 (रुपये पांच करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार छह सौ मात्र)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-21/2024/001-330-12-5099-31-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.12-5099/31/2024- -5-
बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-330-12-5099-31-2024

विषय:- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2401007898901 (कृषि विकास योजनायें)	27 (सब्सिडी)	15,60,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ साठ लाख मात्र	14,60,00,000 रुपये चौदह करोड़ साठ लाख मात्र	-5,59,86,600 रुपये पांच करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार छह सौ मात्र	10,00,13,400	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	27 (सब्सिडी)	0	1,11,97,300 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार तीन सौ मात्र	1,11,97,300	2023-2024
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	0	1,11,97,300 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार तीन सौ मात्र	1,11,97,300	2023-2024
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	42 (अन्य व्यय)	0	3,35,92,000 रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख बयान्वे हजार मात्र	3,35,92,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-केन्द्र पुरोनिधारित आच्छेदीवाई योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राविधान के सापेक्ष कम आऊटले एवं प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-योजनान्तर्गत भारत सरकार से अनुदान संख्या-83 में केन्द्रांश अवमुक्त के कारण तथा पूर्व में लेखाशीर्षक एवं प्राविधान उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<बजट-1-732> -2023-24, दिनांक 21 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 20-03-2024 18:46:46
Reason: Approved
(सचिव वित्त विभाग)
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20232024-330-12-5099-31-2024, दिनांक 21 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।